

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 835
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोग

†835. डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री के. सुधाकरन:

श्री सुखदेव भगत:

डॉ. अमर सिंह:

श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर-संचारी रोगों के कारण वर्ष-वार कुल कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में जागरूकता पैदा करने और चिरकालिक रोगों के बोझ को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार की देश में वहनीय और सुदृढ़ स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की कोई योजना है, क्योंकि चिकित्सा में रोगियों द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय आज भी बहुत अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): द इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के तहत आईसीएमआर के अध्ययन और 2017 में प्रकाशित इसकी रिपोर्ट "इंडिया: हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट्स" के अनुसार, भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होने वाली मौतों का अनुपात वर्ष 1990 में 37.9% से बढ़कर वर्ष 2016 में 61.8% हो गया है।

| रोग समूह का नाम | कुल मौतों में योगदान | |
|-----------------------|----------------------|-------|
| | 1990 | 2016 |
| सभी गैर-संचारी रोग | 37.9% | 61.8% |
| मधुमेह | 10.0* | 23.1* |
| कैंसर | 4.15% | 8.3% |
| हृदयवाहिका संबंधी रोग | 15.2% | 28.1% |

*अशोधित मृत्यु दर (%)

(ख) और (ग): गैर-संचारी रोगों के बढ़ते भार से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और संसाधन- सीमा के अध्यधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता का सृजन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र के उचित स्तर तक रेफरल पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत, 753 जिला एनसीडी क्लीनिक, 220 कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू), 356 जिला डे केयर सेंटर और 6238 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में सामान्य एनसीडी यानी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। इन सामान्य एनसीडी की स्क्रीनिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र) के तहत सेवा वितरण का एक अभिन्न अंग है।

सामुदायिक स्तर पर आरोग्य कार्यकलापों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत गैर-संचारी रोगों के निवारक पहलू को मजबूत किया जाता है। गैर-संचारी रोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली के संवर्धन के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना और सतत सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के माध्यम से स्वस्थ भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट

को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है, और आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न योग संबंधी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एनपी-एनसीडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार गैर-संचारी रोगों के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) कार्यक्रमों के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदयवाहिका रोगों सहित गैर-संचारी रोगों वाले रोगियों का जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, एम्स जैसे केन्द्रीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में उपचार किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में प्रदान किया जाने वाला उपचार या तो निःशुल्क है अथवा रियायती दर पर है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत, 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला स्कीम और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के अंतर्गत कैंसर सहित प्रमुख जानलेवा रोगों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपचार लागत के एक हिस्से को चुकाने के लिए एचएमडीजी के तहत अधिकतम 1,25,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और आरएएन की अम्ब्रेला योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है।
